ईंधन पर कर घटाए, सरकारी खर्चे कम करे सरकार

सरकार कर सकती है महंगाई कम

आखिर कैसे हर चुनावों के वक्त वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं और क्यों चुनाव खत्म होते ही वे आसमान छूने लग जाते हैं। मतलब साफ है कि सरकारी छूट और नियंत्रण दोनों ही ऐसी शक्ति है सरकार के पास कि वह महंगाई बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। बाजार में वस्तुओं की कमी व पूर्ति ये सब सरकार की नीतियों पर निर्भर है।

दीप्ती प्रदीप बंदवार
रतलाम, मध्य प्रदेश

सरकार को उठाने होंगे कड़े कदम

सरकार के पास कीमतें बढ़ने के हर तर्क मौजूद हैं। मगर उन्हें रोकने का एक भी उपाय नहीं है। अगर सरकार चाहे तो कीमतों पर नियंत्रण कर सकती है, मगर इसके लिए उसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कृषि को लाभकारी बनाने के साथ रोजगार बढ़ाने होंगे। सरकार जमाखोरों को सबक नहीं सिखा पा रही है। इसलिए जमाखोरों और मुनाफाखोर के हौसले बुलंद हैं।

प्रियांशु त्रिपाठी
आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

आयात-निर्यात संतुलित हो

सबसे अधिक महंगाई पेट्रोल-डीजल पर भारी कर व जीएसटी उपकर बढ़ाने से है। इनकी दरों में कमी कर महंगाई कम की जा सकती है। जरूरी वस्तुओं का आयात और जरूरत से अधिक वस्तुओं का निर्यात करके भी महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। अत: महंगाई को काबू रखने के लिए करों में कमी व मांग-पूर्ति में संतुलन बनाना जरूरी है।

शकुंतला महेश नेनावा
इंदौर, मध्य प्रदेश

पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम हों

पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और वैट कम किया जाए तो कीमतों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस समय कर राजस्व संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर है और खपत 2019 के स्तर पर नहीं पहुंची है। ऐसे में अगर सरकार उत्पाद शुल्क में कटौती करे तो मुद्रास्फीति पर दबाव कम होगा। परिणामस्वरूप मांग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और अंतत: आर्थिक वृद्धि तेज होगी।

डॉ टी महादेव राव
विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

महंगाई बढ़ना अंतरराष्ट्रीय कारण

महंगाई के विशेष कारक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं। कच्चा तेल, पेट्रोल, स्टील, दवाओं की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। देश में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता के कारण राशन की कीमतों में बहुत उछाल नहीं आती है। महंगाई के समय खर्चों पर रोक के साथ स्थानीय साप्ताहिक बाजार से खरीदारी करनी चाहिए।

विनोद जौहरी
दिल्ली

अनुकूल हो मौद्रिक नीति

महंगाई की समस्या से निजात पाने के लिए रिजर्व बैंक को अपनी मौद्रिक नीतियों में देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल कुछ बदलाव करने होंगे। सरकार को डीजल-पेट्रोल पर लगने वाले कर में रियायत देनी होगी। सरकार को ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा जिनमें पूंजी का विनियोग तो कम हो परंतु शीघ्र उत्पादन द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

संदीप रावत
चंडीगढ़

मुफ्त योजनाओं पर अंकुश लगे

सरकार मुफ्त की योजनाओं पर अंकुश लगाए और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करे, क्योंकि कालाधन महंगाई को बढ़ाता है। सरकारी महकमे में होने वाले अनावश्यक आयोजनों पर रोक हो। किसानों, गरीबों की आय बढ़ाने के सभी संभावित उपाय किए जाएं। पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस के दाम कम किए जाएं, क्योंकि इनकी कीमतों के अनुपात में सभी चीजों के दाम बढ़ते हैं।

मोहित सोनी
धार, मध्य प्रदेश

स्टॉक सीमा से रुकेगी महंगाई

विश्व में कुछ देशों में आपसी विवाद से अंतरराष्ट्रीय पदार्थ महंगे हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है। भारत में शादियों के सीजन में खपत बढ़ी है। कालाबाजारी भी इसी समय पर आम उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं और महंगाई बढ़ाते हैं। सरकार को तीन माह के लिए शुल्क मुक्त आयात खोल देना चाहिए और स्टॉक रखने की सीमा तय कर देनी चाहिए।

दिनेश मालिक
अलवर, राजस्थान

ईंधन मूल्य पर नियंत्रण जरूरी

चुनाव के दौरान महंगाई कम और चुनाव खत्म होते ही क्रमश: महंगाई का पुन: बढ़ जाना सिद्ध करता है कि शासन चाहे तो मंहगाई से त्रस्त और राहत भी दे सकती है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, व्यावसायिक तथा घरेलू सिलिंडर आदि पर वसूला जा रहा वैट और उपकर कम करने पर ईंधन, भाड़ा और लागत सस्ती होने से मंहगाई कम हो सकती है।

बी एल शर्मा
उज्जैन, मध्य प्रदेश

मुनाफाखोरी पर रोक लगे

समय-समय पर यह जांच करना जरूरी है कि कोई व्यापारी या फिर कोई अन्य व्यक्ति कालाबाजारी या मुनाफाखोरी का काम तो नहीं कर रहा है। समय-समय पर यह सर्वे कराना भी जरूरी है कि बाजार में किसी वस्तु का दाम कितना है, यह तय मानक से ज्यादा तो नहीं है। मूल सुविधाओं और अनाज के दाम समय-समय पर देखने होंगे।

धीरेंदु कपिला
बेंगलूरु, कर्नाटक

सरकारी खर्चे कम हों

जमाखोरी, मिलावट के साथ-साथ डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में सरकार का नियंत्रण नहीं होना महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण है। सरकार इन घटकों पर काबू पाकर बढ़ती महंगाई को रोक सकती है। सरकार को मुद्रा के प्रसार को रोकने के साथ ही अपने खर्चों को थामना होगा। सामाजिक कल्याण को हानि पहुंचाए बिना सरकार को खर्चों को युक्तिसंगत बनाना होगा।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

मुनाफाखोरों पर कार्रवाई

महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार को जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में नकदी फसलों को बढ़ावा दिया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच जितना सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहेगा, उससे भी मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन बना रहता है।

ललित महालकरी
इंदौर, मध्य प्रदेश

बकौल विश्लेषक

ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटे

भारत में उच्च मुद्रास्फीति का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के कारण है। जिसके परिणामस्वरूप खाद्य और ईंधन सहित वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इनमें से अधिकांश आपूर्ति बाहरी हैं, जो घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की भारत सरकार की क्षमता को सीमित करते हैं। हालांकि, घरेलू मोर्चे पर सरकार न केवल ईंधन मुद्रास्फीति, बल्कि समग्र मुद्रास्फीति पर कुछ दबाव कम करने के लिए ईंधन (डीजल-पेट्रोल) पर उत्पाद शुल्क में कटौती का सहारा ले सकती है। आरबीआई को भी आर्थिक विकास की चिंताओं के बने रहने के बावजूद नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि करनी होगी। जबकि मुद्रास्फीति का एक बड़ा हिस्सा आपूर्ति-पक्ष के झटके के कारण होता है। सरकार और केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए शीघ्रता से कार्य करें।

बातचीत: रामवीर सिंह गुर्जर

रजनी सिन्हा
मुख्य अर्थशास्त्री, केयर एज (केयर रेटिंग्स लिमिटेड)

पेट्रोल डीजल पर कर बोझ कम हो

महंगाई बढ़ने के लिए वैश्विक और घरेलू कारण जिम्मेदार हैं। खासकर थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई पिछले 11 महीने से 10 फीसदी से अधिक बनी हुई है, जिसके कारण खुदरा महंगाई आम लोगों को परेशान कर रही है। मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95 फीसदी रही जो आरबीआई के अनुमान 6 फीसदी से अधिक है। रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित होने से जिंसों की कीमतों में तेजी आई है। पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ने से उद्योग-कारोबार की लागत बढ़ गई। पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे तो परिवहन कम होगा जिससे जिंस और अन्य उत्पादों की कीमतें कम होनी शुरू होंगी। सरकार का इस समय राजस्व संग्रह अच्छा है, जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में सरकार उत्पाद शुल्क और वैट में कटौती कर सकती है। रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे या फिर मौजूद दरों को स्थिर रखे।

बातचीत: सुशील मिश्र

जितेंद्र संघवी
पूर्व उप महानिदेशक, आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री

पुरस्कृत पत्र

माल ढुलाई के लिए उचित कदम जरूरी

1

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

पुरस्कार राशि
500 रुपये

देश में महंगाई बढ़ने का एक मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें भी हैं। सरकार को माल ढुलाई करने वाले ट्रकों को सस्ते में डीजल उपलब्ध कराने के साथ किसानों को भी उनके घरों से सब्जियों, फलों और अन्य फसलों को मंडियों तक लाने के उपाय करने चाहिए। ताकि महंगा डीजल किसानों को न खरीदना पड़े। माल ढुलाई के लिए ज्यादा मालगाड़ियां चलाई जाएं। जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर भी अंकुश लगे।

श्रेष्ठ पत्र

डॉ. हर्ष वर्द्धन
पटना, बिहार

दरों में हो बदलाव

सरकार पिछले आठ वर्षों में पेट्रोल-डीजल पर 26.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आम जनता से कर के रूप में वसूल चुकी है। आज जब जनता संकट में है, तो सरकार को दरियादिली दिखाने की बारी है। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वक्त का तकाजा है कि सरकार अविलंब अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च पर रोक लगाए। रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में बदलाव लाकर महंगाई को रोके।

समराज चौहान
कार्बी आंगलोंग, असम

आत्मनिर्भरता जरूरी

जब तक महंगाई पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जाता तब-तक महंगाई इसी तरह से आसमान छूती रहेगी और आम जन के जीवन को प्रभावित करती रहेगी। हमें महंगाई कम करने के लिए उन चीजों का मूल्य घटाना पड़ेगा, जो लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। इसके अलावा घरेलू उत्पादों को अत्यधिक बढ़ावा देना होगा। ताकि महंगाई पर घरेलू आत्मनिर्भरता अंकुश लगा सके।

बृजेश माथुर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

रोजगार बढ़े

महंगाई पर काबू पाने के लिए श्रीलंका में करों में भारी कटौती के दुष्परिणाम सामने हैं। करों में भारी कटौती किए बिना महंगाई पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि सरकार और जनता दोनों सख्त वित्तीय अनुशासन का पालन करें। रोजगार मिलने और आय बढ़ने पर महंगाई का असर कम होगा। इसलिए हर स्तर पर संसाधनों की बरबादी रोककर उन्हें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में लगाया जाए।

... और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सम-सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय।
इस बार का विषय है -
बिजली संकट रोकने के क्या हों उपाय?
अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें:
बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फैक्स नंबर- 011-3720201
या फिर ई-मेल करें
goshthi@bsmail.in

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः दि फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ दोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, नेक्स्ट टू ईजीएल बिज़नेस पार्क, चल्लाघट्टा, बैंगलोर—560071, शाखा कार्यालयः 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005

ई—नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी अधिनियम), 2002, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित, के तहत ई—नीलामी माध्यम से बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने सरफासी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया की वसूली के लिए अधोल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की **ऑनलाइन नीलामी (ई—नीलामी)** निम्नवत् यथानिर्धारित तिथि पर **"जैसी हैं, जहाँ हैं" और "जहाँ है, जो भी हैं"** आधार पर आयोजित की जायेगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल कर्जदार/ सह—कर्जदार/ जमानती का नाम	13(2) सूचना की तारीख	कब्जे की तारीख	वर्तमान बकाया शेष दिनांक 12.04.2022 को	संपत्ति निरीक्षण की तारीख और समय	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (रु. में)	ई—नीलामी की तारीख व समय	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय और स्थान
1	30218850004199	मेसर्स पारस वेस्ट पेपर अपने प्रोपराईटर श्री पारस कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व 1. श्री पारस कुमार 2. श्रीमती रेणु देवी (जमानती)	26.04.2021	03.09.2021	रु. 5,62,765/— (रुपये पाँच लाख बासठ हजार सात सौ पैंसठ मात्र)	06.05.2022 समयः पूर्वा. 09 से अप. 5:30 तक	रु. 6,89,000/— (रुपये छह लाख नवासी हजार मात्र)	रु. 68,900/— (रुपये अड़सठ हजार नौ सौ मात्र)	20.05.2022 @ पूर्वा. 11:00	19.05.2022 समय अप. 5:30 पूर्व तक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय पताः 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली—110005
	संपत्ति विवरण/अनुसूचीः आवासीय कालोनी, सिल्वर सिटी, गाँव लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद स्थित एक आवासीय प्लॉट, माप 100 वर्ग गज खसरा नं. 181 में से। पारस कुमार पुत्र स्व. श्री छाटो महतो द्वारा स्वामित्व। **सीमाएँ निम्नवत्:— पूर्वः** अन्य की संपत्ति, **पश्चिमः** अन्य की संपत्ति, **उत्तरः** रास्ता 15 फुट चौड़ा, **दक्षिणः** अन्य की संपत्ति									
2	30218648386734 और 30218648386595	1. मेसर्स दीपक ज्वैलर्स अपने प्रोपराईटर श्री सुनील कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व 2. मेसर्स शुभांगी ज्वैलर्स अपने प्रोपराईटर श्री सुनील कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व 3. श्री सुनील कुमार (कर्जदार) 4. श्री सुशील कुमार (कर्जदार) 5. विजय कुमार वर्मा (जमानती)	30.06.2021 और 28.04.2021	14.01.2022	रु. 79,90,387/— (रुपये उनहासी लाख नब्बे हजार तीन सौ सतासी मात्र)	06.05.2022 समयः पूर्वा. 09 से अप. 5:30 तक	रु. 1,34,13,000/— (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख तेरह हजार मात्र)	रु. 13,41,300/— (रुपये तेरह लाख इकतालीस हजार तीन सौ मात्र)	20.05.2022 @ पूर्वा. 11:00	19.05.2022 समय अप. 5:30 पूर्व तक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय पताः 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली—110005
	संपत्ति विवरण/अनुसूचीः घिटोर्नी नई दिल्ली—110030 स्थित खसरा नं. 298/1, पुराना लाल डोरा (1908—1909) में म्यूनिसीपल कॉर्पोरेशन नं. 51, भूमि माप 220 वर्ग गज पर निर्मित। श्री सुनील कुमार वर्मा पुत्र स्व. श्री शिंभु लाल द्वारा स्वामित्व।									

संपत्तियाँ **"जैसी हैं, जहाँ हैं" और "जहाँ है, जो भी हैं"** आधार पर बिक्री की जा रहीं हैं और ई—नीलामी **'ऑनलाइन'** की जायेगी। नीलामी वेब पोर्टल https://janabank.auctiontiger.net पर अनुमोदित सेवा प्रदाता **मेसर्स ई—प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड** (नीलामी टाईगर) के माध्यम से की जायेगी। अधिक जानकारी और अधिक विवरण, ई—नीलामी पर सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावी निविदाकार **मेसर्स ई—प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड; संपर्क नंबरः 09722778828/079—68136854/51, 55, 56,** ई—मेल आईडीः praveen.thevar@auctiontiger.net को संपर्क कर सकते हैं।

ई—नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के निबंधन व शर्तों के अधिक विवरण और संपत्ति से संबंधित किसी प्रश्न के जबाव के लिए कृपया **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अधिकारी श्री राकेश शर्मा (मोबाइल नं. 7230070463)** को संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीकारी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी की जाने वाली संपत्ति पर किसी भी प्रकार के भार, संपत्ति पर हक आदि की अपनी स्वतंत्र जांच—पड़ताल कर लें। सशर्त कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधक संपत्तियों के लिए अनुसूचित ई—नीलामी के संबंध में उपरोक्त नामित कर्जदारों/जमानती/बंधककर्ताओं को एक नोटिस भी है। कर्जदार/जमातनी/बंधककर्ता को उपरोक्तानुसार राशि को नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज और प्रासांगिक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की बिक्री की जायेगी और शेष बकाया राशि यदि कोई हो, की ब्याज व लागत सहित वसूली की जायेगी।

दिनांकः 18.04.2022, स्थानः दिल्ली एनसीआर
हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालय : केरिब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग 5वीं मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014,
शाखा कार्यालय : तीसरी मंजिल, लैंडमार्क टॉवर, जय क्लब, सी—स्कीम, जयपुर, राजस्थान—302001

कब्जा सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) (परिशिष्ट—IV)

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में राशि का भुगतान करने के लिए यहां नीचे वर्णित ऋणी(यों)/सह—ऋणी(ओं) /गारंटर(ओं) को मांग सूचना(एं) जारी की थी। ऋणी(यों)/सह—ऋणी(ओं)/गारंटर(ओं) राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतदद्वारा ऋणी(यों)/सह—ऋणी(ओं)/गारंटर(ओं) और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी(यों)/सह—ऋणी(ओं)/गारंटर(ओं) व सर्वसाधारण को एतद्द्वारा उक्त नीचे वर्णित संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन—देन उसपर भावी ब्याज के सहित यहां नीचे वर्णित अनुसार राशि(ओं) के लिए बीएचएफएल के पहले प्रभार का विषय होगा।

ऋणी(ओं)/गारंटर(ओं) के नाम (एलएएन नं., शाखा का नाम)	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना तिथि व राशि	कब्जा तिथि
शाखा : जयपुर (LAN No. H419HHL0446651) 1. शैलेंद्र सिंह (चूंकि मृतक इसके कानूनी वारिसों द्वारा) (ऋणी) 2. पूजा सिंह (सह—ऋणी) **दोनों :** प्लॉट नं. 308, तीसरी मंजिल मिदास टच अपार्टमेंट मल्होत्रा नगर, मिदास टच, खसरा नं. 25, जयपुर, राजस्थान, 302039	**गैर कृषि संपत्तियों के सभी भाग व पार्सल, निम्नानुसार है :** विला नं. बी—03, विला टाइप—बी, सिद्दा आंगन, बगरू खुर्द लिंक रोड, टॉल प्लाजा से पहले, अजमेर रोड, गांव—थीकारिया व बगरू खुर्द, तहसील—संगनेर, जयपुर, राजस्थान—302026 पूर्व : रोड, पश्चिम : दूसरों की संपत्ति, उत्तर : विला नं. 4, दक्षिण : विला नं. 3	06 दिसंबर 2021 रु. 50,14,551/— (रुपए पचास लाख चौदह हजार पांच सौ इक्यावन केवल)	12.04.2022

दिनांक : 18.04.2022 स्थान : जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)
IDFC FIRST Bank
सीआईएनः L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः— केआरएम टॉवर्स, 8वाँ तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई—600031
फोनः +91 44 4564 4000 | फैक्सः +91 44 4564 4022

परिशिष्ट—IV [नियम 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जबकि **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)** के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग सूचना दिनांकित 21.08.2021 जारी की थी जिसमें कर्जदार, सह—कर्जदारों और जमानतियों **1. रामनाथ शर्मा, 2. सुधा शर्मा** से सूचना में उल्लिखित दिनांक **18.08.2021 को राशि रु. 15,38,584.34/— (रुपये पंद्रह लाख अड़तीस हजार पाँच सौ चौरासी और चौंतीस पैसा मात्र) को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।**

कर्जदारों द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदारों और जन सामान्य को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **13 अप्रैल, 2022** को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन—देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन—देन **राशि रु. 15,38,584.34/— (रुपये पंद्रह लाख अड़तीस हजार पाँच सौ चौरासी और चौंतीस पैसा मात्र) और इस पर ब्याज के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

गाँव—बहेटा हाजीपुर, परगना—लोनी, जिला गाजियाबाद स्थित संपत्ति प्लॉट नं. 27, ब्लॉक ए(पुराना), बी—45/1 (नया), खसरा नं. 841 का भाग, माप 150 वर्ग गज अर्थात 125.41 वर्ग मीटर के समस्त भाग व खंड और सीमाएँ निम्नवत्— पूर्वः प्लॉट नं. 28, पश्चिमः प्लॉट नं. 30, उत्तरः रास्ता 15 फुट, दक्षिणः अन्य जमीन

दिनांकः 13.04.2022
स्थानः गाजियाबाद
ऋण खाता सं.: 7923153

प्राधिकृत अधिकारी,
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप से ज्ञात)
IDFC FIRST Bank
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड़, चेतपेट, चेन्नई—600031
दूरभाषा : +91 44 4564 4000 | फैक्स : +91 44 4564 4022

परिशिष्ट—IV [नियम 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की उप—धारा 13(12) के सहपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में, दिनांक 30.06.2021 को मांग सूचना जारी करते हुए कर्जदारों, सह—कर्जदारों और गारंटरों : **(1) श्री सतीश गिरी, (2) श्रीमती पिंकी गौस्वामी, को सूचना में उल्लेखित देय राशि रुपये 12,62,429.07/— (रुपये बारह लाख बांसठ हजार चार सौ उनतीस और सात पैसा मात्र) दिनांक 11.06.2021 तक उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की गई है।**

जैसा कि कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, कर्जदार और आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **इस अप्रेल के 13 वें दिन वर्ष 2022**को निम्न वर्णित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार **रुपये 12,62,429.07/— (रुपये बारह लाख बांसठ हजार चार सौ उनतीस और सात पैसा मात्र) और उस पर ब्याज के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति निहित प्लॉट धारक सं.20, मापक 80 वर्ग गज, खसरा सं.176 एम, स्थित आवासीय कॉलोनी पंचकुला हदबस्त ग्राम— छिपयानाबुजुर्ग,परगना और तहसील दादरी, जिला— जी.बी.नगरउततिर प्रदेश—201009 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। उत्तर : प्लॉट सं.21, दक्षिण : 16 फुट चौड़ कछा, पूर्व: 15 फुट चौड़ कछा,पश्चिम : प्लॉट सं.29

दिनांक : 13.04.2022
स्थान : दादरी
ऋण खाता सं. 15307365

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेडऔर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

कब्जा सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** (पूर्ववर्ती जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी ने कर्जदार(ओं)/सह—कर्जदार(ओं) को **मांग सूचनाएँ** जारी की थीं जिसमें कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में यथाउल्लिखित लागू दरों से ब्याज सहित संबंधित नामों के लिए उल्लिखित राशि को भुगतान और/या वसूली की तारीख तक यथालागू भविष्य की ब्याज, वहन प्रासांगिक व्यय, लागतों, प्रभारों आदि के साथ उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के अंदर अदा करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	ऋण सं.	कर्जदार/सह—कर्जदार/ जमानती/बंधककर्ता	13(2) सूचना की तारीख/ बकाया देय (रु. में) तारीख तक	कब्जे की तारीख/समय कब्जे का प्रकार
1	45268640000562 और 45269660000453	1) मेसर्स सूरमा ज्वैलर्स अपने प्रोपराईटर श्री प्रेम कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व 2) श्री प्रेम कुमार, 3) श्रीमती प्रवीण (जमानती)	12.01.2022 रु. 56,21,567/— (रुपये छप्पन लाख इक्कीस हजार पाँच सौ सड़सठ मात्र) दिनांक 09 जनवरी, 2022 को	दिनांकः 13.04.2022 समयः पूर्वा. 10:45 और सांकेतिक कब्जा
	प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरणः झील कुरंजा, गीता कालोनी, दिल्ली—110031 स्थित फ्रीहोल्ड बिल्ट अप संपत्ति नं. 6/332 (ब्लॉक नं. 06, क्वार्टर नं. 332), माप एरिया 42 वर्ग गज छत अधिकारों सहित। **श्री प्रेम कुमार पुत्र स्व. श्री कस्तूरी लाल और श्रीमती प्रवीण, पत्नी श्री प्रेम कुमार,** द्वारा स्वामित्व।			
2	45128640001491 45129660001610 45129660000889 और 45129660000050	1) मेसर्स खैराती लाल एंड संस ज्वैलर्स अपने प्रोपराईटर श्री अनिल कक्कड़ द्वारा प्रतिनिधित्व 2) श्री अनिल कक्कड़, 3) श्रीमती भावना कक्कड़ (जमानती)	31.12.2021 रु. 1,24,37,506/— (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ छह मात्र) दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को	दिनांकः 13.04.2022 समयः अप. 12:30 और सांकेतिक कब्जा
	प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरणः गाँव बसई दारापुर की लाल डोरा आबादी में, नई दिल्ली स्थित संपत्ति नं. डब्ल्यूजेड—503 (पुराना नं. 570), माप 128.4/8 वर्ग गज टेरेस छत अधिकारों सहित, खसरा नं. 698 में। **श्रीमती भावना कक्कड़, पत्नी श्री अनिल कक्कड़** द्वारा स्वामित्व। **सीमाएँ:— पूर्वः** अन्य संपत्ति, **पश्चिमः** रोड, **उत्तरः** अन्य संपत्ति, **दक्षिणः** अन्य संपत्ति			

जबकि यहाँ ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह—कर्जदार/जमानती/बंधकर्ताओं के देय राशि भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा विशेष रूप से उपर्युक्त उल्लिखित कर्जदार और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का उपरोक्त तारीखों को **कब्जा** ले लिया है।
विशेष रूप से यहाँ ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह—कर्जदार/जमानती/बंधकर्ताओं और सामान्य रूप में सर्व साधारण को उपरोक्त संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों से कोई लेन—देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और उक्त संपत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कोई भी लेन—देन **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16.04.2022
हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी
हिते जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जन स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालयः दि फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ दोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, नेक्स्ट टू ईजीएल बिज़नेस पार्क, चल्लाघट्टा, बैंगलोर—560071
शाखा कार्यालयः 16/12, दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005